न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2023 दायर दिनांकः 25/08/2023

उनवान

1. शकुन्तला आयु 48 वर्ष पुत्री गोपाल जाति धाकड़ निवासी जिरोद तहसील अटरू हाल निवासी मण्डोला तहसील व जिला बारां (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

आदेश दिनाकः 21/11/2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बोकडा पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 91 का ख.नं. 197 का रकबा 0.20 हे०, ख.नं. 198 का रकबा 0.48 हे0, ख.नं. 206 का रकबा 0.04 हे0 गै. मु.चाह, ख.नं. 207 का रकबा 1.24 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.96 हेक्टर आराजी प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थिया को घर पर सुगनी कहने के कारण प्रार्थिया का गलत नाम सुगना दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया का सही नाम शकुन्तला है। प्रार्थिया के दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, एवं ग्राम पंचायत् जिरोद का प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थिया का सही नाम शकुन्तला दर्ज है तथा प्रार्थिया की माता का नाम जानकी बाई के स्थान पर रामजानकी गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया की माता का सही नाम जानकी बाई है। प्रार्थिया की माता की मृत्यु हो चुकी है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 91 में प्रार्थिया का नाम सुगना के स्थान पर शकुन्तला व प्रार्थिया की माता का नाम रामजानकी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर जानकी बाई दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया एवं उसकी माता का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सुगना के स्थान पर सही नाम शकुन्तला तथा प्रार्थिया की माता का नाम रामजानकी के स्थान पर सही नाम जानकी बाई दर्ज किया जावें। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम बोकड़ा की आराजी खाता संख्या 91 में प्रार्थिया का नाम सुगना के स्थान पर सही नाम शकुन्तला तथा प्रार्थिया की माता का नाम रामजानकी के स्थान पर सही नाम जानकी बाई दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को ज़रिये सम्मन तलव किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2024/3512 दिनांक 20.11.2024 को शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थी ने साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 व pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा रिकार्ड प्रदर्श किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमावन्दी ग्राम व माल खुरी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 265, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बोकडा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 91, ग्राम पंचायत जीरोद प्रमाण पत्र शकुन्तला, आधार कार्ड शकुंतला, जन–आधार कार्ड शकुन्तला, मतदाता पहचान पत्र शकुन्तला, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत जीरोद प्रमाण पत्र जानकी बाई, मृत्यु प्रमाण पत्र जानकी बाई, परिवार राशन कार्ड जानकी बाई, भामाशाह कार्ड जानकी बाई, मतदाता पहचान पत्र जानकी बाई का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट एवं साक्ष्य गवाहों के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल बोकडा पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 91 का ख.नं. 197 का रकबा 0.20 हे०, ख.नं. 198 का रकबा 0.48 हे०, ख.नं. 206 का रकबा 0.04 हे0, ख.नं. 207 का रकबा [illegible].24 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हे0 में सहखातेदार रामजानकी पत्नी स्व. गोपाल के स्थान पर जानकी बाई पत्नी स्व. गोपाल किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा सुगना पुत्री गोपाल के स्थान पर शकुन्तला पुत्री गोपाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बोकडा पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 91 का ख.नं. 197 का रकबा 0.20 हे०, ख.नं. 198 का रकबा 0.48 हे0, ख.नं. 206 का रकबा 0.04 हे0, ख.नं. 207 का रकबा 1.24 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.96 हे0 में सहखातेदार रामजानकी पत्नी स्व. गोपाल के स्थान पर जानकी बाई पत्नी स्व. गोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-11-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner